संoसंo–1 / विविध–13 / 2017– 589(1)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

श्री अशोक कुमार यादव,
उप निदेशक,
स्वास्थ्य सेवाएँ,
शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति,
राज्य स्वास्थ्य समिति परिसर,
परिवार कल्याण भवन,
शेखपुरा, पटना।

पटना, दिनांक– 01 / 6 /2017

विषयः– शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति से संबंधित विविध कार्यों के संबंध में।

प्रसंगः– शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति, बिहार, पटना का पत्रांक–01 दिनांक–02.05.2017

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंधा में कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति, बिहार, पटना से संबंधित विविध कार्यों के संबंध में विभागीय आदेश / मार्गदर्शन की अपेक्षा की गई है।

2. प्रासंगिक पत्र में वर्णित कार्यों के संबंध में क्रमवार विभागीय आदेश / मार्गदर्शन / निर्णय निम्नरूपेण हैः–

क्र0 सं0	कार्य	विभागीय आदेश / मार्गदर्शन / निर्णय
1.	माननीय अध्यक्ष को उपलब्ध गाड़ी के स्थान पर इनोवा कीटा या वाहन भत्ता देने का आग्रह ।	माननीय अध्यक्ष महोदय हेतु निर्धारित सेवा शर्त्त में उन्हें वाहन सुविधा उपलब्ध है। निर्धारित सेवा शर्त्त के अनुरूप वे वाहन किराये पर ले सकते हैं। वाहन भत्ता देने का प्रावधान निर्धारित सेवा शर्त्त में नहीं है।
2.	एम0सी0आई0 एवं विज्ञान एवं प्रावैधिक विभाग से प्रतिनिधि नामित करने हेतु संबंधित को पत्र देने का अनुरोध।	डॉ0 अशोक कुमार यादव, उप निदेशक (चि0शि0), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को समिति के सचिव के रूटिन कार्यों को करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।
3.	कार्यालय में उपयोग आनेवाली सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने का अनुरोध।	यह समिति का आंतरिक मामला है; इस कार्य के लिए माननीय अध्यक्ष द्वारा किन्हीं को प्राधिकृत किया जा सकता है।
4.	कार्यालय कार्य हेतु किसी पदाधिकारी को सचिव या हस्ताक्षरी पदाधिकारी प्राधिकृत करने का अनुरोध।	डॉ0 अशोक कुमार यादव, उप निदेशक (चि0शि0), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को समिति के सचिव के रूटिन कार्यों को करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

क्रमशः

5.	चाटर्ड एकाउण्टेंट की बहाली एवं उनके भत्ते तथा मानदेय से संबंधित आदेश उपलब्ध कराने का अनुरोध।	अपील (सिविल) 5041/2005 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति गठित किया गया है। जिसमें माननीय न्यायमूर्ति महोदय को किसी नामी चाटर्ड एकाउण्टेंट को नामित करना है। नियुक्ति एवं वेतन भत्ते की चर्चा नहीं है। BMSICL/SHS में चाटर्ड एकाउण्टेंट उपलब्ध होने पर, उनकी भी सेवा ली जा सकती है। चाटर्ड एकाउण्टेंट के लिए मानदेय का प्रस्ताव समिति से प्राप्त होने पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त किया जा सकेगा।
6.	सदस्यों के मनोनयन से संबंधित दिशा निर्देश उपलब्ध कराने का अनुरोध।	यह समिति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में गठित है। अतः अपील (सिविल) 5041/2005 के आदेश के अनुरूप सदस्यों का मनोनयन माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा किया जाना है।
7.	बैठक में आने वाले सदस्यों/कर्मियों के भत्ते हेतु दिशा निर्देश उपलब्ध कराने का अनुरोध।	इस बिन्दु पर समिति द्वारा स्वयं निर्णय लिया जा सकता है।
8.	कार्यालय व्यय से संबंधित राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध।	समिति के सम्यक संचालन हेतु विभाग द्वारा अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। सहायक अनुदान–गैर वेतन मद में प्राप्त अनुदान से कार्यालय व्यय का वहन किया जा सकता है। सहायक अनुदान की राशि समिति को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। अतः किन्हीं पदाधिकारी को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित करने की आवश्यकता नहीं है।

3. अनुरोध है कि तदनुसार आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

31.5.17

(सुधीर कुमार)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः–1/विविध–13/2017– 589(1) /स्वा0, पटना, दिनांक– 01/6/2017

प्रतिलिपिः– **अध्यक्ष**, शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति, राज्य स्वास्थ्य समिति परिसर, परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

31.5.17

सरकार के उप सचिव